न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
उनवान रामजीवन बनाम बाली वगै0

वाद संख्या–135/2015

दिनांक निर्णय–15.12.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा वादी रामजीवन पुत्र पून्या जाति माली निवासी बसवा तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 18.12.2015 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार ग्राम बसवा बी, पटवार हल्का बसवा भू0 अ0 नि0 बसवा तह0 बसवा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 380 पुरानी 394 के ख0 नं0 5474 रकबा 0.80 है0, ख0 नं0 5475 रकबा 0.14 है0, ख0 नं0 5477 रकबा 0.05 है0, ख0 नं0 5478 रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 5478/101040 रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 5496 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.80 है0 वार्षिक लगानी 34 रूपयें 60 पैसें एवं भूमि खाता संख्या 381 पुराना 395 के ख0 नं0 5479 रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 5479/101050 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 5480 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वार्षिक लगानी 6 रूपयें 20 पैसे स्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र का अभी तक सरस नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा नही हुआ है भूमि मुतदाविया को मौके पर पक्षकारान ने आपसी सहमति के आधार पर बाहमी तौर पर बांट रखा है लेकिन भूमि को बाते व जोतते समय व लगान अदा करते समय कमती ज्यादा को लेकर विवाद हो जाता है तथा कोई भी पक्ष बिना एक दूसरे की सहमति के राज्य सरकार व भारत सरकार से मिलने वाली कृर्षि सहायता भी प्राप्त नही कर सकता है ऐसी सूरत में वादी भूमि मुतदाविया का अपने 1/8 हिस्से का दोनो खातो की भूमि का सरस नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा करवाकर अलग अलग पास बुके जारी करवाने का अधिकारी है।

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र का सरस नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर वादी का दोनो खातो मे हिस्सा 1/8, 1/8 का अलग चक कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें।

प्रतिवादीगण सं0 1 व 21 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालों या अन्य मददगारान एवं अधिनस्थ कर्मचारीयों के भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 380 पुराना 394 के ख0 नं0 5474, 5475, 5477, 5478, 5478/10104, 5496 कुल किता 6 कुल रकबा 1.80 है0 एवं खाता संख्या नया 381 पुराना 395 ख0 नं0 5479, 5479/10105, 5480 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके रामा बसवा बी तह0 बसवा का जब तक विधिवत तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करनें से, भूमि मुतदाविया एवं राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प 2016 बसवा में पेश हुई। पक्षकारान को सुनवाई हेतु बुलवाया गया। पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार तकास्मा कराना चाहते है। पक्षकारान की सुनवाई एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी प्राथमिक रूप डिकी किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि वह आ0 ख0 नं0 5474, 5475, 5477, 5478, 5478/10104, 5496 कुल किता 6 कुल रकबा 1.80 है0 एवं खाता संख्या नया 381 पुराना 395 ख0 नं0 5479, 5479/10105, 5480 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके रामा बसवा बी तह0 बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
श्रीमति बाली पत्नि रामनारायण हि0 1/6 श्रीमति राधा पत्नि बालूराम हि0 1/6 सोमोती पत्नि स्व0 भगवानसहाय हि0 1/6 गीलाराम पुत्र सम्पत्या नारायणी धर्म पत्नि स्व0 गंगल्या रामकरण अशोक राजेश पि0 गंगल्या श्रीमति पूनी पत्नि स्व0 रामसहाय कल्लू कंचन पि0 रामसहाय घासीराम पूरणमल देवीसहाय रामधन पि0 रामजीलाल धौली पुत्री रामजीलाल हि0 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार	5479 5480 5479/10105	0.19 0.12 0.01
	किता 3	0.32 है0
रामजीवन पुत्र पून्या जाति माली सा0 देह खातेदार	5496/1	0.25
	किता 1	0.25 है0
श्रीमति बाली पत्नि रामनारायण हि0 7/48 श्रीमति राधा पत्नि बाबूराम हि0 7/48 सोमोती पत्नि स्व0 भगवानसहाय हि0 7/48 कालूराम पुत्र बुद्दालाल प्रभातीलाल पुत्र बुद्दालाल छुट्टन पुत्र ईसरलाल हि0 9/16 हि0 ब0 जाति माली सा0 राजगढ(अलवर) खातेदार	5474 5475 5478/1 5478/2 5496/2	0.80 0.14 0.15 0.03 0.34
	किता 5	1.46 है0
रामजीवन पुत्र पून्या हि0 1/8 श्रीमति बाली पत्नि रामनारायण हि0 1/8 श्रीमति राधा पत्नि बालूराम हि0 1/8 सोमोती पत्नि स्व0 भगवानसहाय हि0 1/8 कालूराम पुत्र बुद्दालाल प्रभातीलाल पुत्र बुद्दालाल छुट्टन पुत्र ईसरलाल हि0 1/2 हि0 ब0 जाति माली सा0 राजगढ(अलवर) खातेदार	5478/3 5496/3 5477 5478/10104	0.01 0.01 0.05 0.02
	किता 4	0.09 है0

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुरेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए पत्रावली में वादी द्वारा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा वास्ते आदेश पत्रावली रखी गई। दिनांक 15.12.2017 को पत्रावली वास्ते आदेश रखने पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुरेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

15/12/17

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)